

मास्टर परिपत्र
जमा खाता रखना

विषय सूची

1.	भूमिका	1
2.	जमा खाता खोलना	1
2.1	नए जमाकर्ताओं का परिचय	1
2.2	खाता धारकों के फोटोग्राफ	3
2.3	खाता धारकों का पता	4
2.4	अन्य सुरक्षा उपाय	4
2.5	एनआरओ /एनआरई खाते खोलना	6
3.	कुछ विशेष प्रकार के जमा खाता खोलने पर प्रतिबंध	6
3.1	निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं	6
3.2	अभिभावक के रूप में माँ के साथ बच्चे का खाता	7
4.	नामांकन सुविधाएं	7
4.1	परिचालनात्मक अनुदेश	7
4.2	अधिनियम प्रावधान	8
4.3	नियम	8
4.4	नामांकन का अभिलेख	9
4.5	सुरक्षित अभिरक्षा में रखे समानों के संबंध में नामांकन सुविधा	10
4.6	सुरक्षित जमा लॉकर खातों के संबंध में नामांकन	11
5.	खातों का परिचालन	13
5.1	संयुक्त खाते	13
5.2	नए खातों में परिचालनों की निगरानी	13
5.3	सभी खातों के परिचालनों की निगरानी करना	14
5.4	चेक बुक जारी करना	15
5.5	बैंको में अदावी जमाराशियां तथा अप्रचलित/निष्क्रिय खाते	15
5.6	बड़ी राशि के लेनदेनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान	16
5.7	वृद्ध/रुग्ण /अक्षम ग्राहकों द्वारा बैंक खातों का परिचालन	17
5.8	विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विभिन्न	18

	संगठनों द्वारा विदेशी सहयोग की प्राप्ति	
6.	दिवंगत जमाकर्ताओं से संबंधित दावों का निपटान	20
7.	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान	21
8	जमा संग्रहण	22
8.1	जमा संग्रह एजेंट	22
8.2	बैंक गारंटियों सहित अनिगमितनिकायों / प्राइवेट लिटेड कंपनियों से जमा स्वीकार करना	22
8.3	निजी संगठनों द्वारा शुरू की गई जमा संग्रह योजनाएं	22
9.	अन्य पहलू	22
9.1	बैंकिंग प्रणाली तथा आयकर प्राधिकारियों के बीच अधिकाधिक समन्वय	22
9.2	अदावाकृत जमा राशियों के लिए रजिस्टर	23
10.	"अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी दिशा निर्देश तथा धन शोधन निवारण मानक	23
10.1	"अपने ग्राहक को जानिए" (के.वाई.सी.) संबंधी दिशानर्देश	23
10.2	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध	26
	• अनुबंध I	27
	• अनुबंध II	30
	• परिशिष्ट	31

मास्टर परिपत्र

जमा खाता रखना

1. भूमिका

किसी बैंक में जमाराशियां स्वीकार करना और जमा खाता रखना मुख्य कार्य होता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में दी गई परिभाषा के अनुसार "बैंकिंग" शब्द की मूलभूत वैधानिक व्याख्या का अर्थ ऋण देने या निवेश करने के प्रयोजन से जनता से जमा राशियां स्वीकार करना बताया गया है जो मांग पर या अन्यथा चुकौती योग्य तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा आहरणीय हो। इस प्रकार जमा राशियां किसी बैंक का प्रधान संसाधन और अवलंब होती हैं और बैंक का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त जमाराशियाँ जुटाना है। जमा खाता खोलने तथा उन्हें संचालित/उनकी निगरानी करने के संबंध में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (युसीबी) को समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों, दिशा-निर्देशों इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है।

2. जमा खाता खोलना

2.1 नए जमाकर्ताओं का परिचय

बैंकों में बहुत सारी धोखाधड़ियां मुख्य रूप से अवास्तविक नामों से खाते खोलकर, चेकों से अनियमित भुगतान, खातों में हेर-फेर तथा खातों में अनधिकृत परिचालनों के जरिए की जाती हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि खाता खोलना किसी व्यक्ति के लिए बैंक का ग्राहक बन जाने के लिए प्रथम प्रवेश बिंदु है, खाता खोलने तथा खातों में परिचालनों के प्रति अधिकतम सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 जिससे परक्राम्य लिखतों के भुगतान तथा संग्रह नियंत्रित होते हैं तथा जो जारी कर्ताओं/आहरणकर्ताओं, आदाताओं, पृष्ठांकितियों, आहरणकर्ताओं, संग्राहक बैंकों तथा आदाता/आहरणकर्ता बैंकों को कुछ अधिकार दायित्व (आब्लीगेसन्स) तथा सुरक्षाएं देता है, के अन्तर्गत वैधानिक सुरक्षा भी तभी उपलब्ध होगी यदि आदेश पर देय किसी चेक/ड्राफ्ट का भुगतान बैंक उचित तरीके से करता है या स्वीकार करता है। किसी परक्राम्य लिखत के भुगतान या संग्रह को उचित तरीके से हुआ तभी माना जाता है यदि बैंक सदिच्छा से और बिना किसी लापरवाही से काम करता है और ऐसा वह ग्राहक के हित में करता है।

2.1.1 परिचय की आवश्यकता

- (i) किसी खाते का परिचय परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 131 के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में प्राप्त नहीं किया जाता है बल्कि खाता खोलने वाले व्यक्ति की सही पहचान के लिए भी प्राप्त किया जाता है ताकि बाद में जब कभी आवश्यकता हो तो उस व्यक्ति को ढूँढा जा सके।
- (ii) बैंकों के लिए अपने ग्राहकों को जानना तथा उचित प्रणालियां और प्रक्रियाएं चालू करना आवश्यक है। सही पहचान प्राप्त करने की प्रथा को सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि अन्य बातों के साथ-साथ बे-हिसाबी धन को जमा करने की दृष्टि से अवांछनीय व्यक्तियों द्वारा या अवास्तविक नामों से खाता खोलने के प्रति सावधानी बरतने का उपाय मानना चाहिए।

2.1.2 सही पहचान

- (i) सामान्यतः बैंक अधिकारी तथा ग्राहक के बीच बैठक के बिना खाता नहीं खोला जाना चाहिए।
- (ii) बैंकों को न केवल चालू तथा चेक परिचालित बचत बैंक खाते अपितु मांग, अल्प कालिक तथा सावधि जमाराशियों सहित सभी जमाखाते खोलने के लिए संभावित जमाकर्ताओं से अनिवार्य रूप से पहचान किसी मौजूदा खाता धारक या बैंक या बैंक के कर्मचारियों से परिचित स्थानीय समाज के किसी सम्मानित सदस्य से प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करना चाहिए। बैंकों को अपने जमाकर्ताओं की पहचान के बारे में संतुष्ट होना चाहिए।
- (iii) परिचय कराने वाले की भूमिका को और अधिक स्पष्ट बनाना चाहिए। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को पर्याप्त लंबे समय से जानता है।
- (iv) परिचय देने वाले व्यक्ति को एक स्तर का व्यक्ति तथा कम से कम छः माह से बैंक में उसका खाता होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाते किसी नए खाता धारक या अल्प सीमांत शेष राशि वाले व्यक्तियों के परिचय पर नहीं खोला गया है। समयांतराल से बैंक खाते की गहन निगरानी कर सकता है ताकि बैंक इस बात से संतुष्ट हो सके कि परिचय कराने वाले के खाते लेनदेन संतोषजनक है।
- (v) शाखा प्रबंधकों/स्टाफ सदस्यों को परिचय कराने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
- (vi) जहां कोई पक्षकार संतोषजनक परिचय नहीं दे पाता हो वहां खाता खोलने की अनुमति देने से पहले पक्षकार के लिए अपने परिचय का प्रमाण देना आवश्यक बनाना चाहिए।
- (vii) अच्छी स्थिति वाले ग्राहकों को इस प्रकार शिक्षित किया जाना चाहिए कि वे बिना जाने-पहचाने नए पक्षकारों के खाते खोलने के लिए परिचय कराने के परिणामों को समझ सकें।
- (viii) ऐसे ग्राहक के मामले में जो वेतन के जरिए जमाराशि प्राप्त करेगा तथा चेक के माध्यम से सरकार/अर्ध सरकारी एजेंसियों/व्यक्तियों को भुगतान करेगा, फोटोग्राफ के साथ सामान्य परिचय पर्याप्त होगा।
- (ix) ऐसे खातों के मामले में जिनका प्रयोग विप्रेषण लेनदेनों तथा व्यावसायिक भुगतान के अलावा बड़ी राशि के चेकों का संग्रह करने के लिए किए जाने की संभावना है, वहां बैंकों के लिए गहन जाँच करना आवश्यक होगा।

2.1.3 अनुपस्थिति में परिचय

- (i) जब परिचय करानेवाला खाते का परिचय देने के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक की शाखा में नहीं आता है तो उससे नए खाते का परिचय कराने के तथ्य की पुष्टि लिखित रूप में लेनी चाहिए।
- (ii) उन मामलों में जहां खाता खोलने वाले फार्म में परिचय के लिए बैंक की अन्य शाखाओं के प्रबंधक/अधिकारियों के हस्ताक्षर हों वहां इस प्रकार के परिचय करानेवालों के हस्ताक्षर का सत्यापन रेकार्ड में उपलब्ध नमूने हस्ताक्षरों से मिलाकर करने के अलावा संबंधित शाखा को उन शाखाओं के अधिकारियों से परिचय की लिखित पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए जिन्होंने खाते का परिचय कराया है।

- (iii) जब तक इसकी पुष्टि प्राप्त न हो जाए बैंकों को नए खोले गए खातों के माध्यम से चेक/ड्राफ्ट का संग्रह नहीं करना चाहिए।
- (iv) उन मामलों में इसी प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाना चाहिए जहां खातों का परिचय करानेवाले बैंक के अधिकारी नहीं हैं तथा वे खातों का परिचय कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक में उपस्थित नहीं होते।
- (v) बैंक को ग्राहक तथा परिचय करानेवाले को डाक द्वारा पत्र भेजकर खाता खोलने/परिचय कराने के बारे में उनकी पुष्टि मांगनी चाहिए । खाता खोलने वाले तथा परिचय कराने वाले दोनों से पुष्टि प्राप्त होने के बाद चेक बुक जारी किया जाए।

2.2 खाता धारकों के फोटोग्राफ

2.2.1 अनिवार्य रूप से फोटोग्राफ प्राप्त करना

- (i) बैंकों को सभी नए खाते खोलते समय जमा कर्ताओं/खाता धारकों के फोटोग्राफ प्राप्त करने चाहिए जो खातों का परिचालन करने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं । ग्राहकों के फोटो नवीनतम होने चाहिए तथा खाता खोलने के लिए फार्म पर चिपकाए जाने वाले फोटोग्राफ की कीमत का वहन ग्राहक करें ।
- (ii) जमा की प्रत्येक श्रेणी के लिए फोटोग्राफ का केवल एक सेट प्राप्त करना चाहिए न कि अलग - अलग फोटोग्राफ । विभिन्न प्रकार के जमा खातों के लिए आवेदन पत्रों का संदर्भ उचित प्रकार से रखना चाहिए ।
- (iii) बचत बैंक खाता तथा चालू खातों जैसे जमा खातों को परिचालित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के फोटोग्राफ प्राप्त किए जाने चाहिए। सावधि/आवर्ती, संचयी आदि जैसे अन्य जमा खातों के मामले में सिर्फ बच्चे के नाम से जमा राशियों को छोड़कर जहां अभिभावकों के फोटोग्राफ प्राप्त किए जा सकते हैं, सभी जमाकर्ताओं के फोटोग्राफ जिनके नाम से जमा प्राप्ति होती है, प्राप्त किए जाएं ।
- (iv) बैंकों को पर्दानशीन महिलाओं के फोटोग्राफ भी प्राप्त करने चाहिए ।
- (v) बैंकों को एन आर ई, एन आर ओ, एफ सी एन आर खाता धारकों के फोटोग्राफ भी प्राप्त करने चाहिए ।

खातों के परिचालन के लिए जब तक विशेष परिस्थितियों में जखी न हो तब तक सामान्यतः खाता धारक की उपस्थिति का आग्रह नहीं करना चाहिए । फोटोग्राफ नमूने हस्ताक्षर के विकल्प नहीं हो सकते ।

2.2.2 अपवाद

- (i) निम्नलिखित मामलों में बैंक द्वारा फोटोग्राफ की आवश्यकता का आग्रह नहीं करना चाहिए :

(क) नए बचत बैंक खाते जहां चेक सुविधा प्रदान नहीं की गई हो; तथा

(ख) 1 0,000/- रु राशि सहित सावधि तथा अन्य मीयादी जमाराशियां

- (ii) तथापि, बैंकों को इन खातों को खोलने तथा इनके परिचालन के संबंध में सामान्य तथा आवश्यक सावधानियां/सुरक्षाएं बरतनी चाहिए ।
- (iii) यदि किसी जमाकर्ता की मीयादी जमा 10,000/- रु से कम हो परंतु उसके पास चेक सुविधायुक्त बचत बैंक खाता या चालू खाता हो तो उसका फोटोग्राफ लेना आवश्यक होगा ।
- (iv) बैंक, स्थानीय प्राधिकारी तथा सरकारी विभागों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी निकायों को छोड़कर) को फोटोग्राफ की आवश्यकता से मुक्त रखा गया है ।
- (v) उधार खातों जैसे नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट खातों आदि के लिए फोटोग्राफ लेने की आवश्यकता नहीं है ।
- (vi) बैंक स्टाफ सदस्यों (एकल/संयुक्त) खातों के मामले में भी फोटोग्राफ के लिए आग्रह न करें ।

2.3 खाताधारकों का पता

बैंकों के लिए यह उचित नहीं है कि वे असावधानी से भी कर अपवंचन के लिए बे-गैरत लोगों द्वारा खुद का इस्तेमाल होने दें । इसलिए, बैंकों को जमाकर्ताओं का पूरा तथा संपूर्ण पता प्राप्त करना चाहिए तथा इसे बहियों तथा खाता खोलने वाले फार्म में दर्ज करना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी कठिनाई के पक्षकारों की खोज की जा सके । सभी मामलों में खाता - धारक के पते की स्वतंत्र पुष्टि की जानी चाहिए ।

2.4 अन्य सुरक्षा उपाय

2.4.1 पीएएन/जी आई आर संख्या

बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 50, 000/- रु या उससे अधिक की प्रारंभिक जमा से खाता खोलने वाले जमाकर्ता से पीएएन/जी आई आर नंबर प्राप्त करें ।

2.4.2 प्राधिकृत करना

नए खाते खोलने के लिए केवल शाखा प्रबंधक या बड़ी शाखाओं पर संबंधित जमा खाता विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा ही प्राधिकृत किया जाना चाहिए ।

2.4.3 औपचारिकताएं पूरी करना

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाता खोलने की सभी औपचारिकताएं बैंक परिसर में पूरी की जाती हैं तथा कार्रवाई के लिए कोई दस्तावेज बाहर नहीं ले जाए। जहां उपर्युक्त नियम का अपवाद एकदम आवश्यक हो वहां बैंक खातों में कोई परिचालन किए जाने से पहले

आवश्यक जाँच हेतु समुचित स्तर से प्रारूपित जाँच पत्र पर हस्ताक्षरित फोटोग्राफ प्राप्त करके, पंजीकृत पावती द्वारा अग्रेषित करके, खाता खोलने वाले फार्म की प्रति तथा ग्राहकों को सहवर्ती अनुदेश प्रेषित करके, ब्योरों का सत्यापन करने के लिए एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने जैसी सावधानी बरतें।

2.4.4 चालू खाता खोलना - अनुशासन की आवश्यकता

बैंकों में बढ़ रही गैर-निष्पादक आस्तियों को ध्यान में रखते हुए इसे कम करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि ऋण अनुशासन पर ध्यान दिया जाए। इसलिए आवश्यक है कि बैंक खाताधारक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि वे किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं या वे एक ऐसा प्रमाणपत्र दें जिसमें यह ब्यौरा दिया गया कि अन्य बैंक (बैंकों) से उन्होंने कितना ऋण लिया है। खाता खोलने वाली बैंक ये सारे ब्यौरे प्राप्त करे और ऋण प्रदान करने वाली संबंधित बैंक से इसकी पुष्टि भी करे। खाता खोलने वाली बैंक उस बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी प्राप्त करे।

तथापि, यदि निवर्तमान बैंकर से 15 दिन की निर्धारित अवधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इस ग्राहक का खाता खोला जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, उन संभाव्य ग्राहकों के बारे में भी पर्याप्त सावधानी बरती जाए जो कारपोरेट ग्राहक हों या जो एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधा का लाभ उठाते हों। इस स्थिति में बैंक, संघ के अग्रणी (यदि संबंधित बैंक संघ के सदस्य हों तो) को और यदि इस सुविधा का लाभ बहु बैंक सुविधा के रूप में लिया जा रहा हो तो संबंधित बैंको को सूचित करे।

बैंको को यह भी सूचित किया जाता है कि इन मामलों में जहाँ एक ओर पर्याप्त सावधानी बरती जाए वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ग्राहक संतुष्टि का उद्देश्य भी पूरा हो और इस बारे में अन्य बैंकों से प्राप्त होने वाले संदर्भों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

2.4.5 स्वामित्व प्रतिष्ठान के खाते

स्वामित्व प्रतिष्ठान के मामले में खाता खोलते समय बैंक मालिक की व्यक्तिगत पहचान, स्वामित्व प्रतिष्ठान की पहचान का सत्यापन करे। तदनुसार बैंक निम्नलिखित दस्तावेजों की मांग करे तथा उनका सत्यापन करे :

- (i) पहचान तथा मालिक के पते का प्रमाण जैसे, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो सहित राशन कार्ड आदि - उक्त में से कोई एक दस्तावेज प्राप्त करे।
- (ii) नाम का प्रमाण, प्रतिष्ठान की गतिविधियां तथा पता, जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में), शॉप और एस्टेबलिशमेंट अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र / लाइसेंस, सेल्स और इनकम टैक्स रिटर्न, सीएसटी / विपटी प्रमाणपत्र, पंजीकृत प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इंस्ट्रुमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंडियन मेडिकल कौंसिल, अन्न और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी आदि द्वारा जारी व्यावसायिक प्रमाणपत्र इनमें से कोई दो दस्तावेज स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम होने चाहिए। इन दस्तावेजों के अलावा, विक्रि कर / सेवा कर / व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र / पंजीकरण दस्तावेज भी स्वामित्व प्रतिष्ठान का नाम, पता तथा कार्य के प्रमाण के सत्यापन के लिए विचार लेले।

2.4.6 बहुस्तरीय मार्केटींग फर्मों के खाते

हमारे यह ध्यान में आया है कि उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं के लिए कार्यरत बहुस्तरीय मार्केटींग एजन्सीज (एमएलएम) अधिक ब्याज का वादा करते हुए जनता से बहुत बड़ी मात्रा में जमाराशि संघटीत कर रहे हैं। इन फर्मों के प्रतिनिधियों ने देशभर विविध स्थानों पर स्थित विभिन्न बैंकों की शाखाओं में खाते खोले हैं तथा इसका उपयोग अवैध या जोखिम भरे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। हमारे 16 सितंबर 2009 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी .पीसीबी.परि.सं.9 /12.05.001/2009-10 में जैसा कि बैंकों को सूचित किया गया है ऐसे खाते खालते समय उचित सावधानी बरते / ऐसे खातों की समीक्षा करे तथा केवायसी / एएमएल दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करे।

2.4.7 वित्तीय समावेशन

जहां एक ओर अपने परिचालन क्षेत्र में मूलभूत तथा सुलभ दर पर बैंक सेवा प्रदान करने में शहरी सहकारी बैंकों के योगदान को समझा गया है वहीं यह भी देखा गया है कि कुछ शहरी सहकारी बैंकों ने न्यूनतम शेष राशि की मात्रा इतनी ज्यादा रखी है कि आबादी का एक बड़ा वर्ग खाता खोलने/इसे बनाए रखने से वंचित रह गया है।

वृहदाकार में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे बैंकिंग का 'नो फ्रिल' रूपी आधारभूत खाता की सुविधा उपलब्ध कराएं। इस खाते में न्यूनतम राशि 'शून्य' या फिर बहुत कम रखने के साथ-साथ प्रभार भी ऐसे हों जिसके चलते आबादी के एक बड़े भाग तक इनकी पहुंच संभव हो सके। इन खातों में लेनदेन के स्वरूप तथा संख्या प्रतिबंधित की जा सकती है पर इसके बारे में ग्राहक को स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया जाए। सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि 'नो फ्रिल' रूपी आधारभूत खाता के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करें और इसके बारे में अपनी वेबसाइट पर भी जानकारी दें जिसमें पारदर्शी तरीके से सुविधाओं तथा प्रभार का उल्लेख किया गया हो। यद्यपि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य अपूर्ण होगा यदि बैंक उनकी पहुंच देश के दूर दराज तक नहीं ले जाते हैं। बाजवी आधारभूत सुविधा न्यूनतम परिचालन लागत तथा उचित तकनीकी के प्रयोग से यह साध्य करना होगा। बैंको को अपनी परिचालन लागत कम करने के लिए स्मॉल टिकट लेनदेन व्यवहार्य बनाने के लिए यह उपयोगी साबित होगा। इसलिए बैंकों से आग्रह किया जाता है कि वे यथोचित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय समावेशन की दिशा में अपने प्रयासों को तेज करें। इस बात पर ध्यान देना अनिवार्य है कि निकाले गए समाधान अत्यंत सुरक्षित हैं, उनकी लेखापरीक्षा की जा सकती है, वे व्यापक रूप से स्वीकृत खुले मानकों का अनुपालन करते हैं ताकि विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रणालियों के बीच आपस में अंतर-परिचालन किया जा सके।

2.5 एनआरओ / एनआरई खाते खोलना

2.5.1 शहरी सहकारी बैंकों के पुनःवर्गीकरण के फलस्वरूप उभरे एनआरओ खाते रख सकते हैं जैसे कि, विद्यमान निवासी खातेदार अनिवासी हो जाने पर तथा केवल ऐसे खातों में ही, आवधिक रूप से ब्याज जमा करने की अनुमति है। शहरी सहकारी बैंको को नये एनआरओ खाते खोलने की अनुमति नहीं है। (प्राधिकृत व्यापारी संवर्ग I को छोड़कर)

2.5.2 राज्य में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने पर्यवेक्षी तथा नियंत्रक समन्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता किया है तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम

2002 के अंतर्गत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जो निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करते हैं एनआरई खाते रखने के प्राधिकार के लिए पात्र है ।

- (i) 25 करोड़ का न्यूनतम नेटवर्थ
- (ii) सीआरएआर 9% से कम न हो
- (iii) निवल अनर्जक आस्तियां 10% से कम
- (iv) सीआरआर / एसएलआर का अनुपालन
- (v) बिना किसी संचित हानि के पिछले तीन वर्षों का निवल लाभ
- (vi) सक्षम आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
- (vii) केवाईसी / एएमएल मार्गदर्शी सिद्धांतों का संतोषजनक अनुपालन
- (viii) बोर्ड में कम से कम दो व्यावसायिक अर्हता वाले निदेशकों का समावेश

3 कुछ विशेष प्रकार के जमा खाते खोलने पर प्रतिबंध

3.1 निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ बैंक नियमित मीयादी जमाराशियों के अतिरिक्त अपने ग्राहकों को 300 दिन से पांच वर्ष तक की विस्तारित सीमा वाले विशेष मीयादी जमाराशि उत्पाद प्रस्तावित कर रहे हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- (i) 6 से 12 महीने तक की विस्तारित सीमा वाली निश्चित अवरुद्धता अवधि;
- (ii) निश्चित अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की अनुमति नहीं होती है। अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की स्थिति में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है ;
- (iii) इन जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दरें, सामान्य जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दरों के अनुस्यू नहीं हैं;
- (iv) कुछ बैंक विशिष्ट शर्तों के अधीन आंशिक रूप से समयपूर्व भुगतान की अनुमति देते हैं।

संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से नयी देशी जमा संग्रहण योजनाएं प्रारंभ करने से पहले जमाराशियों पर ब्याज की दरों, मीयादी जमाराशियों के समय पूर्व आहरण, मीयादी जमाराशियों की जमानत पर ऋण / अग्रिमों की स्वीकृति आदि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए निदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। इससे संबंधित किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत दंड भी लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कुछ बैंकों द्वारा प्रवर्तित निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली विशेष योजनाएं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुस्यू नहीं हैं। अतः जिन बैंकों ने ऐसी जमायोजनाएं प्रवर्तित की हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उन योजनाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करें और उसकी अनुपालन रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजें।

3.2 अभिभावक के स्र में माता के साथ बच्चे का खाता

- 3.2.1 सामान्यतया बैंक संरक्षक के स्र में माता के साथ बच्चे के नाम से खाता खोलना नहीं चाहते हैं । स्पष्ट तथा, पिता के जीवित रहते संरक्षक के स्र में माता के प्रति उदासीनता का आधार हिंदू अल्पवयस्कता तथा संरक्षकत्व अधिनियम, 1956 की धारा 6 है जो यह निर्धारित करती है कि जीते जी केवल पिता ही किसी हिंदू बच्चे का स्वाभाविक संरक्षक होता है ।

- 3.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने इस समस्या के कानूनी तथा व्यावहारिक पहलुओं की समीक्षा की है और यह महसूस किया है कि यदि माताओं को संरक्षक माने जाने की मांग का मूल विचार केवल सावधि, आवर्ती जमा तथा बचत बैंक खाता खोलने से जुड़ा है तो आवश्यकताएं पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वैधानिक प्रावधानों के बावजूद बैंकों द्वारा इस प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं बशर्ते वे खातों में परिचालन की अनुमति देने में पर्याप्त सुरक्षाएं बरतते हों तथा यह सुनिश्चित करते हों कि संरक्षक के रूप में माताओं के साथ खोले गए बच्चों के खातों से अति आहरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन खातों में हमेशा जमा रहेगा । इस प्रकार, संविदा करने की बच्चे की क्षमता विवाद का विषय नहीं होगी ।
- 3.2.3 इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में बड़ी धनराशि लगी हो तथा यदि बच्चा इतना बड़ा हो कि लेनदेन के प्रकार को समझता हो तो बैंक इस प्रकार के खाते से धन का भुगतान करने के लिए उसकी स्वीकृति भी ले सकते हैं ।

4. नामांकन सुविधाएं

4.1 परिचालनात्मक अनुदेश

- (i) विभिन्न बैंकों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे नामों पर विचार किए गए वगैर नामांकन सुविधा सभी प्रकार के जमा खातों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।
- (ii) जब तक कि ग्राहक नामांकन करना चाहे (गैर अनुपालन की अटकलों की गुंजाइश के बिना इसे दर्ज किया जाए) नामांकन सभी मौजूदा और नए खातों के लिए एक नियम होना चाहिए ।
- (iii) पेंशन जमा करने के लिए खोले गए बचत बैंक खाता हेतु नामांकन सुविधा उपलब्ध है । तथापि, सहकारी सोसायटियां (नामांकन) नियम, 1985 पेंशन बकाया (नामांकन) नियम, 1983 से भिन्न हैं और पेंशन भोगी द्वारा पेंशन बकायों की प्राप्ति हेतु पेंशन बकाया (नामांकन) नियमों के अंतर्गत किया गया नामांकन पेंशन भोगियों के बैंकों के जमा खातों के प्रयोजन के लिए वैध नहीं होगा जिसके लिए यदि पेंशनभोगी नामांकन सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो तो सहकारी सोसायटियां (नामांकन) नियम, 1985 के अनुसार एक पृथक नामांकन आवश्यक है ।
- (iv) बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि जमा खाता खोलने वाली व्यक्ति को नामांकन भरने के लिए आग्रह किया जाए। खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन भरने के लिए मना करता है तो बैंक को उसे नामांकन सुविधा के लाभ स्पष्ट करने चाहिए । इसके बावजूद यदि व्यक्ति नामांकन करने के लिए इच्छुक नहीं है तो बैंक को जमाकर्ता से इस आशय का पत्र प्राप्त करना चाहिए। यदि जमाकर्ता इस प्रकार का पत्र देने से भी इन्कार करें तो खाता खोलने वाले फॉर्म पर इस तथ्य को दर्ज करना चाहिए और अन्य पात्रता पूर्ण करने पर खाता खोलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में केवल नामांकन करने से मना करने के आधार पर बैंक को खाता खोलने से इन्कार नहीं करना चाहिए। एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान के जमा खातों के संबंध में यही क्रियाविधि अपनायी जाए।

4.2 अधिनियम प्रावधान

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेड ए से 45 जेड एफ तक (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) निम्न लिखित मामलों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती हैं :

- (i) ताकि कोई सहकारी बैंक किसी दिवंगत जमाकर्ता के नामिनी को जमाकर्ता के जमाखाते में पड़ी राशि का भुगतान कर सके ।
- (ii) ताकि सहकारी बैंक किसी दिवंगत व्यक्ति द्वारा बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित तरीके से वस्तुओं की सूची बनाने के बाद उसके नामिनी को लौटा सके ।
- (iii) ताकि बैंक सेफ्टी लॉकर किराए पर लेने वाले किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित तरीके से सेफ्टी लॉकर की वस्तुओं की सूची बनाकर उन वस्तुओं को दिवंगत ग्राहक के नामिनी को दे सके ।

4.3 नियम

सहकारी बैंक (नामांकन) नियम 1985, में निम्नलिखित का प्रावधान है :

- (i) जमा खातों, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं तथा सुरक्षा लाकरों में रखी गई वस्तुओं के लिए नामांकन फार्म
- (ii) नामांकन निरस्त करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए फार्म
- (ii) नामांकनों का पंजीयन तथा नामांकनों को निरस्त एवं उनमें परिवर्तन करना, तथा उपर्युक्त से संबंधित मामले।

जमा खातों से संबंधित नामांकन के नियम निम्नलिखित हैं :

- (क) किसी सहकारी बैंक द्वारा धारित एक या अधिक व्यक्तियों के नाम जमा के संबंध में जमाकर्ता द्वारा या सभी जमाकर्ताओं द्वारा मिलकर किया गया नामांकन।
- (ख) कथित नामांकन केवल उसी जमा के बारे में किया जा सकता है जो कि जमाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत हैसियत में धारित है न कि किसी कार्यालय या अन्यथा धारक के स्प में किसी प्रतिनिधि की हैसियत में ।
- (ग) जहां नामिनी अवयस्क हो, नामांकन करते समय मामले के अनुसार जमाकर्ता या सभी जमाकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति को जो अवयस्क न हो जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में या नामिनी की अल्पवयस्कता के दौरान सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के मामले में नामिनी की तरफ़ से जमाराशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करें।
- (घ) किसी अवयस्क के नाम से किए गए जमा के मामले में अवयस्क की तरफ़ से विधि सम्मत् स्प से अधिकृत व्यक्ति द्वारा नामांकन किया जाएगा ।
- (ङ) जमाकर्ता या मामले के अनुसार सभी जमाकर्ताओं द्वारा किए गए कथित नामांकन को रद्द करना।

(च) जमाकर्ता या मामले के अनुसार सभी जमाकर्ताओं द्वारा किए गए कथित नामांकन में परिवर्तन।

(छ) कथित नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा।

(ज) किसी सहकारी बैंक द्वारा जमाकर्ता या जमाकर्ताओं जैसा मामला हो के नामे खाता जमा धारित करने के दौरान नामांकन, नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन परिवर्तन उपर्युक्त के अनुसार किया जा सकता है।

(झ) यदि कोई जमा एक से अधिक जमाकर्ताओं के नाम धारित हो तो किसी नामांकन का निरस्तीकरण या उसमें परिवर्तन तब तक वैध नहीं होगा जब तक नामांकन के निरस्तीकरण या उसमें परिवर्तन के समय जीवित सभी जमाकर्ताओं द्वारा न किया गया हो।

(ञ) सहकारी बैंक किसी जमा के संबंध में जैसा मामला हो, नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन के विधिवत् पूरित संबंधित फार्म की प्राप्ति-सूचना लिखित रूप में संबंधित जमाकर्ता या जमाकर्ताओं को देगा।

(ट) सहकारी बैंक को प्रस्तुत नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन का विधिवत् भरा गया संबंधित फार्म को सहकारी बैंक की बहियों में दर्ज किया जाएगा।

(ठ) नामांकन या नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन केवल जमा के नवीकरण के कारण से अप्रभावी नहीं हो जाएगा।

4.4 नामांकन का अभिलेख

4.4.1 नामांकन की प्राप्ति

सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 के नियम 2(9), 3(8) और 4(9) के अनुसार बैंकों को नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा /अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत् भरे गए संबंधित फॉर्म जमा किए जाने की सूचना जमाकर्ता (ओं) /लॉकर किराए पर लेने वाले (लों) को लिखित रूप से देना आवश्यक है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) तथा सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा नामांकन करने, नामांकन का रद्द करने तथा /अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत् भरे गए फॉर्म प्राप्त होने की सूचना देने के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित करें। इस प्रकार की प्राप्ति-सूचना सभी ग्राहकों को दी जानी चाहिए, चाहे ग्राहकों ने इसकी मांग की हो या नहीं। इसके अतिरिक्त, यदि ग्राहक ऐसा करने के लिए सहमत हो तो बैंकों को चाहिए कि वे पासबुक /खाता विवरण /मीयादी जमा रसीदों पर 'नामांकन पंजीकृत' शब्दों के साथ नामिती का नाम भी दर्शाएं।

4.4.2 नामांकन का पंजीकरण

नियम 2 (10), 3(9) तथा 4 (10) के अनुसार बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे नामांकनों, नामांकनों के निरस्तीकरण तथा/या उनमें परिवर्तनों को अपनी बहियों में दर्ज करें। तदनुसार, बैंकों को लाकरों के अपने जमाकर्ता (जमाकर्ताओं) किराएदार (किराएदारों) के नामांकन दर्ज करने या उनमें उनके द्वारा किए परिवर्तनों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

नामांकन दर्ज करते समय निम्नलिखित पहलुओं का पालन करें:

- (i) नामांकन फॉर्म प्राप्त करने के अतिरिक्त बैंक खाता खोलने वाले फॉर्म में नामिति के नाम तथा पते का उल्लेख करने का प्रावधान करें। ग्राहकों तक पहुँचने वाले चेकबुक, पासबुक तथा अन्य किसी साहित्य पर सटीक संदेश मुद्रित करने तथा नामांकन सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिए आवधिक अभियान चलाने के साथ-साथ नामांकन सुविधा के संबंध में प्रचार किए जाने की आवश्यकता है।
- (ii) संयुक्त जमाराशियों के मामले में किसी एक जमाकर्ता की मृत्यु के बाद अन्य जमाकर्ता (जमाकर्ताओं) द्वारा साथ-साथ परिचालन करने के लिए बैंक एक नामांकन में परिवर्तन/निरस्तीकरण की अनुमति दें। यह उन जमाराशियों पर भी लागू होगा जिनमें परिचालन के लिए "जमाकर्ताओं में से कोई एक अथवा जीवित जमाकर्ता" अनुदेश हों। यह नोट किया जाए कि संयुक्त जमा खाता के मामले में नामिति का अधिकार सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही होगा।
- (iii) बैंक नामांकन सुविधा का लाभ उठाने के संबंध में 'पंजीकृत नामांकन' के प्रतीक के साथ पास बुक के मुख पत्र पर स्थिति दर्ज करने की प्रथा शुरू करें। मीयादी जमा रसीद के मामले में भी ऐसा ही किया जाए।

4.5 सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामानों के संबंध में नामांकन सुविधा

4.5.1 वैधानिक उपबंध

सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामानों के नामांकन तथा उन्हें नामिति को वापस करने और अन्य व्यक्तियों द्वारा उन पर किए जाने वाले दावों की नोटिस के विरुद्ध सुरक्षा का प्रावधान करने वाले वैधानिक उपबंधों का ब्यौरा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 45 जेड सी तथा 45 जेड डी में दिया गया है।

4.5.2 सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामानों के संबंध में नामांकन नियम

सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामानों के संबंध में नामांकन नियम निम्नलिखित हैं :

- (क) किसी सहकारी बैंक में सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़े गए सामानों के संबंध में किसी व्यक्ति (जिसे इसके बाद "जमाकर्ता" कहा जाएगा) द्वारा किया जानेवाला नामांकन।
- (ख) जिस मामले में नामिति अवयस्क हो वहां जमाकर्ता नामांकन करते समय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो अवयस्क न हो और जो नामिति की अल्प वयस्कता के दौरान जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नामिति की तरफ से कथित सामान प्राप्त कर सके।
- (ग) जिस मामले में किसी अल्प वयस्क के नाम से किसी सहकारी बैंक में सामान सुरक्षित अभिरक्षा में पड़े हों तो नामांकन उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो अल्प वयस्क की तरफ से विधि सम्मत् ढंग से इसके लिए अधिकृत है।
- (घ) नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाना चाहिए।

(ड) किसी सहकारी बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में जितने समय तक सामान जमा रहते हैं उतने समय के दौरान कभी भी जमाकर्ता नामांकन, नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन कर सकता है।

(च) सहकारी बैंक को इस प्रकार जमा किए गए सामानों के संबंध में मामले के अनुसार नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन से संबंधित विधिवत् भरे गए फॉर्म जमा करने की प्राप्ति - सूचना जमाकर्ता को लिखित तौर पर देनी चाहिए।

(छ) सहकारी बैंक में जमा किए गए नामांकन, या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन के संबंध में विधिवत् भरे गए फॉर्म को सहकारी बैंक की बहियों में दर्ज किया जाना चाहिए।

4.5.3 परिचालनात्मक अनुदेश

- (i) नामांकन सुविधाएं केवल व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के मामले में उपलब्ध हैं न कि सुरक्षित अभिरक्षा में संयुक्त रूप से सामान जमा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में।
- (ii) नामिति या नामितियों तथा जीवित उत्तराधिकारियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामान लौटाते समय बैंक उन्हें देते समय उनकी सुरक्षित अभिरक्षा में रखे मुहरबंद/बंद पैकेट न खोलें।
- (iii) किसी दिवंगत जमाकर्ता द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़े गए सामान नामिति को लौटाने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 जेड सी (3) तथा 45 जेड ई (4) के अनुपालन में उक्त प्रयोजन के लिए प्राप्ति निर्धारित कर दिए हैं।
- (iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामान सही नामिति को वापस किए जाते हैं तथा मृत्यु का प्रमाण सत्यापित करने के लिए भी सहकारी बैंक अपने दावा प्राप्ति बनाएं या उनके अपने महासंघ/संगठन या इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा इस प्रयोजन के लिए यदि कोई प्रक्रिया सुझाई गई हो तो उसका पालन करें। जहां तक जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण का संबंध है इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को सूचित किया है कि वे मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या मृत्यु के प्रमाण का अन्य कोई संतोषजनक माध्यम जैसे बैंकों में प्रचलित प्रक्रियाओं का पालन करें।

4.6 सुरक्षित जमा लॉकर खातों के संबंध में नामांकन

4.6.1 वैधानिक उपबंध

सुरक्षित लॉकरों में रखे सामानों के नामांकन तथा उन्हें नामिति को निर्गत करने और अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए दावों की सूचना के विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित वैधानिक उपबंधों का विवरण उक्त अधिनियम की धारा 45 जेड ई तथा 45 जेड एफ में दिया गया है।

4.6.2 सुरक्षा लॉकर के संबंध में नामांकन नियम

सुरक्षा लॉकर के संबंध में नामांकन संबंधी नियम नीचे दिए गए हैं :

(क) जहां किसी सहकारी बैंक से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लॉकर किराए पर लिया गया हो तो नामांकन इस प्रकार के किराएदारों द्वारा किया जाए ।

(ख) किसी लॉकर के इकलौते किराएदार के मामले में नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा ।

(ग) जहां लॉकर किसी अल्पवयस्क बच्चे के नाम पर किराए पर लिया गया हो तो नामांकन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो अल्पवयस्क बच्चे की तरफ से परिचालन करने के लिए कानूनी तौर पर अधिकृत हो ।

(घ) लॉकर के किसी इकलौते किराएदार या संयुक्त किराएदारों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, किए जाने वाले कथित नामांकन का निरस्तीकरण

(ङ) किसी लॉकर के इकलौते किराएदार द्वारा किए जाने वाले कथित नामांकन में परिवर्तन

(च) किसी लॉकर के संयुक्त किराएदारों द्वारा किए जाने वाले नामांकन में परिवर्तन

(छ) कोई नामांकन, किसी नामांकन का निरस्तीकरण अथवा नामांकन में परिवर्तन जितने समय तक लॉकर किराए पर लिया गया हो उतने समय के दौरान किसी भी समय उपर्युक्त प्रकार से किया जा सकता है ।

(ज) सहकारी बैंक इस प्रकार किराए पर लिए गए लॉकर के संबंध में मामले के अनुसार नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन से संबंधित विधिवत् भरे गए फ़ार्म दायर करने की प्राप्ति सूचना लिखित रूप में इकलौते किराएदार या संयुक्त किराएदारों को देगा ।

(झ) सहकारी बैंक में दायर नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन के संबंध में विधिवत् भरे गए फ़ार्म को सहकारी बैंक की बहियों में दर्ज किया जाएगा ।

4.6.3 परिचालनात्मक अनुदेश

(i) नामिति (यों) की लॉकर तक पहुँच तथा उसे/उन्हें लॉकर के सामान हटाने की अनुमति देने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 जेड सी (3) तथा 45 जेड ई (4) के अनुपालन में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के लिए प्राप्ति निर्धारित कर दिए हैं ।

(ii) बैंक उपर्युक्त पैरा 4.5.3 (iv) में किए गए उल्लेख के अनुसार कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमा की राशियाँ, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामान तथा लॉकरों के सामान सही नामिति को लौटाए गए हैं ।

(iii) लॉकरों के सामान नामिति या नामितियों तथा जीवित किराएदारों को निर्गत करते समय बैंक लॉकर में पाए गए मुहरबंद/बंद पैकेट न खोलें ।

(iv) जहां तक संयुक्त रूप से किराए पर लिए गए लॉकर का संबंध है तो संयुक्त किराएदारों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर लॉकर से सामान हटाने (नामिति तथा जीवित व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से) की अनुमति निर्धारित तरीके से सामान की सूची देने के बाद ही दी जाए । इस प्रकार के मामले में सामान सूची से पहले इस प्रकार सामान हटाने के बाद यदि नामिति तथा जीवित उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) चाहें तो लॉकर किराए पर लेने की एक नई संविदा करके सभी सामान उसी बैंक में अभी भी रख सकते हैं ।

(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 जेड ई किसी अल्पवयस्क को किसी लॉकर के सामान

की सुपुर्दगी प्राप्त करने के लिए नामिति होने से नहीं रोकती । तथापि, इस प्रकार के मामलों में बैंकों का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि जब किसी लॉकर के सामान किसी अल्पवयस्क नामिति की तरफ से निकाले जाने हों तो वस्तुएं ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द की जाएं जो कानून अल्पवयस्क नामिति की तरफ से वस्तुएं प्राप्त करने के लिए सक्षम हो ।

5. खातों का परिचालन

5.1 संयुक्त खाते

5.1.1 संयुक्त खातों के परिचालन के तरीके

भारतीय बैंक एसोसिएशन से 28 अगस्त 1980 को प्राप्त पत्र सं. एलए.सी/19-96-29 की प्रति अनुबंध I में दी गई है । बैंक अपनी शाखाओं के सूचनार्थ तथा इस विषय पर आवश्यक मार्गदर्शन के लिए समुचित अनुदेश जारी करने की वांछनीयता पर विचार कर सकते हैं ।

5.1.2 संयुक्त खाता खोलने में बरती जाने वाली सावधानियां

(i) बहुत सारे संयुक्त खाताधारकों के मामले में बैंकों को संयुक्त खाते खोलते समय तथा उनमें परिचालन की अनुमति देते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए :

(क) यद्यपि किसी संयुक्त खाते में खाताधारकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है फिर भी यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे संयुक्त खाता खोलने के प्रत्येक अनुरोध की बहुत सावधानी से जाँच करें । विशेष रूप से, पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के स्वस्थ, व्यवसाय से जुड़े अन्य संबंधित पहलुओं, खाताधारकों की वित्तीय स्थिति पर खाता खोलने से पूर्व गौर करना जरूरी है । उस स्थिति में भी सावधानी बरतने की जरूरत है जब खाताधारकों की संख्या बड़ी हो ।

(ख) तीसरे पक्षकारों को भुगतान के लिए आदाता खाता चेकों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए ।

(ग) ऐसे चेक जो "सामान्य रूप से रेखित" हों, ही आदाता द्वारा समुचित परांकन के बाद संग्रहीत किए जान चाहिए ।

(घ) बड़ी राशियों के चेकों की वसूली में सावधानी बरतनी चाहिए ।

(ङ) संयुक्त खातों में किए गए लेनदेनों की संवीक्षा बैंकों द्वारा आवधिक रूप से की जानी चाहिए तथा मामले में जो भी कार्रवाई उचित हो की जानी चाहिए । यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि संयुक्त खातों का प्रयोग बेनामी लेनदेनों के लिए नहीं किया जा रहा है ।

(ii) आंतरिक नियंत्रण तथा सतर्कता तंत्र को सख्त किया जाना चाहिए ताकि संयुक्त खाते खोलने तथा उनमें परिचालन से जुड़े उपर्युक्त पहलुओं पर निगरानी रखी जा सके ।

5.2 नए खातों में परिचालनों की निगरानी

- 5.2.1 नए खातों में परिचालनों पर गहन निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली की शुल्कात की जानी चाहिए । हालांकि शाखाओं पर नए-नए खोले गए खातों की निगरानी करने की जिम्मेदारी प्रमुख स्तर से संबंधित विभाग/अनुभाग के प्रभारियों की होगी जबकि बड़ी शाखाओं पर शाखा प्रबंधकों या जमा खाता विभाग के प्रबंधकों को इस प्रकार के खाते खोले जाने की तारीख से कम से कम पहले छः महीनों तक गहन निगरानी करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के खातों में फर्जी या संदिग्ध लेनदेन होने को रोका जा सके । यदि किसी प्रकार के संदिग्ध लेनदेन का पता चलता है तो बैंक को खाता धारक से लेनदेन के बारे में पूछताछ करनी चाहिए और यदि कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिले तो उन्हें इस प्रकार के लेनदेनों की सूचना उचित जाँच एजेंसी को देने पर विचार करना चाहिए ।
- 5.2.2 जब कभी बड़ी राशियों के लिए चेक/ड्राफ्ट वसूली के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं या नए खाते खुलने के तुरंत बाद/थोड़ी समयावधि के भीतर नए खातों में नामे खाता करने के लिए टेलीग्रॉफिक अंतरण (टीटी)/मेल अंतरण (एमटी) प्राप्त हों तो सावधानी बरतनी चाहिए । इस प्रकार के मामलों में, लिखतों तथा खाताधारक के औचित्य का विस्तारपूर्वक सत्यापन करना चाहिए । यदि आवश्यक हो तो आदाता बैंक को संग्राहक बैंक से जारी होने वाले बड़ी राशि के चेकों/ड्राफ्टों के औचित्य के बारे में जाँच करनी चाहिए । वसूली के लिए प्रस्तुत बड़ी राशि वाले मांग ड्राफ्टों/चेकों का सत्यापन बैंगनी लैपों से किया जाना चाहिए ताकि रासायनिक स्तर से किए गए हेर-फेर की जाँच हो सके ।

5.3 सभी खातों में परिचालनों की निगरानी करना

- 5.3.1 बड़ी राशियों के नकदी आहरणों की गहन निगरानी की एक प्रणाली स्थापित की जाए । जब मौजूदा तथा नए खोले गए खातों में तीसरे पक्षकार के चेक, ड्राफ्ट आदि जमा किए जाते हैं और उसके बाद बड़ी राशियों के लिए नकद आहरण किए जा रहे हों तो बैंकों को बड़ी राशियों हेतु नकद आहरणों के लिए अपने ग्राहकों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उचित निगरानी रखनी चाहिए।
- 5.3.2 बैंकों को 5 लाख रु तथा उससे अधिक की नकद जमा तथा आहरणों की सधन निगरानी की व्यवस्था न केवल जमा खातों में बल्कि नकद/ओवर ड्राफ्ट आदि जैसे अन्य सभी खातों में भी शुरू करनी चाहिए । बैंकों/शाखाओं को 5 लाख रु तथा उससे अधिक के लिए व्यक्तिगत नकद जमा राशियों तथा आहरणों का विवरण दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखना चाहिए । जमाओं के मामले में दर्ज किए गए आंकड़ों में खाता - धारक का नाम, खाता संख्या, जमा की गई राशि तथा आहरणों के मामले में खाताधारक का नाम, खाता संख्या, आहरण की राशि तथा चेक के लाभार्थी का नाम शामिल होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, 5 लाख रु तथा उससे अधिक की किसी नकद जमा या आहरणों की सूचना शाखा प्रबंधक द्वारा खाता धारक के नाम, खाता संख्या, खाता खोलने की तारीख जैसे पूर्ण विवरणों के साथ पखवाड़े के आधार पर प्रधान कार्यालय को देनी चाहिए । शाखाओं से इन विवरणों के प्राप्त होने के बाद प्रधान कार्यालय को तुरंत उनके ब्यौरों की जाँच करनी चाहिए और लेनदेन प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगते हों या संदेह पैदा करते हों तो अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके ऐसे लेनदेनों की जाँच करवानी चाहिए । भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी भी निरीक्षणों के दौरान शाखाओं द्वारा प्रस्तुत विवरणों की जाँच करेंगे ।

5.3.3 चेकों के भुगतान में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है, आहरणकर्ता के हस्ताक्षर का सत्यापन, नमूना हस्ताक्षरों के कार्ड की अभिरक्षा, चेक बुक जारी करने में निगरानी तथा खाली चेक बुक/पन्नों की अभिरक्षा पर नियंत्रण हैं । हालांकि बड़ी राशियों के चेकों की पराबैंगनी किरण लैंपों से जाँच करने की जरूरत को सभी बैंकों ने स्वीकार किया है परंतु व्यवहार में बमुश्किल ऐसा किया जाता है क्योंकि ऐसे मामले में प्रायः ढिलाई बरतने की प्रवृत्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य हानि होती है । इसके अतिरिक्त टोकन जारी करने एवं उनकी अभिरक्षा, काउंटर पर प्रस्तुत किए गए चेकों के संचलन तथा बैंकों द्वारा भुगतान कर दिए जाने के बाद सभी लिखतों की अभिरक्षा के संबंध में उचित ध्यान दिया जाना चाहिए । खाते बंद करते/स्थानांतरित करते समय जमाकर्ताओं/ग्राहकों से अप्रयुक्त चेक बुक सौंपने के लिए कहना चाहिए । नमूना हस्ताक्षर कार्डों की सुरक्षित अभिरक्षा का, विशेष रूप से जब परिचालनात्मक अनुदेश परिवर्तित हो गए हों, बहुत महत्व होता है । इस परिवर्तन का विधिवत् सत्यापन शाखा के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए ।

5.4 चेक बुक जारी करना

नए चेक बुक पक्षकार को जारी किए गए पिछले चेक बुक की विधिवत् हस्ताक्षरित मांग पर्चियां प्रस्तुत करने के बाद ही जारी किए जाने चाहिए। यदि कोई चेक बुक किसी मांग पत्र पर जारी किया जाता है तो आहरणकर्ता को बैंक में व्यक्तिगत रूप से आने के लिए कहना चाहिए या बिना वाहक को सुपुर्द किए चेक बुक पंजीकृत डाक से सीधे उसे भेज दिया जाना चाहिए । खुले चेक केवल खाता धारक को तभी जारी करना चाहिए जब वे व्यक्तिगत रूप से मांग पत्र लेकर पास बुक प्रस्तुत करते हैं ।

5.5 बैंकों में अदावी जमाराशियां तथा अप्रचलित/निष्क्रिय खाते

बैंकों के पास अदावी जमाराशियों की प्रति वर्ष बढ़ती हुई राशि तथा एसी जमाराशियों से संबद्ध अंतर्निहित जोखिम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जिन खाताधारकों के खाते निष्क्रिय रहे हैं, उनका पता-ठिकाना ढूंढने में बैंकों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसके अलावा, ऐसी भी धारणा बनी है कि बैंक, ब्याज का भुगतान किए बिना अदावी जमाराशियों का अनुचित फायदा उठा रहे हैं। इन कारकों को ध्यान रखते हुए बैंकों को अप्रचलित/निष्क्रिय खातों पर कार्रवाई करते समय नीचे निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करें:

- (i) शहरी सहकारी बैंकों को उन खातों की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए जिनमें एक वर्ष से अधिक अवधि से कोई भी परिचालन नहीं हुआ है (अर्थात्: आवधिक ब्याज जमा करने अथवा सेवा प्रभार नामे डालने के अलावा कोई जमा अथवा नामे प्रविष्टि नहीं है)। ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहकों से संपर्क करें और उन्हें लिखित रूप में यह सूचित करें कि उनके खातों में कोई परिचालन नहीं किया गया है और उनसे इसका कारण पूछें। यदि ग्राहकों का उक्त इलाके से स्थानांतरण होने के कारण खाते निष्क्रिय हैं तो ग्राहकों से उनके नाम बैंक खातों के ब्योरे देने के लिए कहा जाए जिनमें विद्यमान खाते की शेष राशि को अंतरित किया जा सके।
- (ii) यदि वे पत्र अवितरित वापस आते हैं तो बैंकों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों का अथवा ग्राहकों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके कानूनी वारिसों का पता-ठिकाना ढूंढने के लिए तत्काल जांच कार्रवाई प्रारंभ करें।

- (iii) यदि ग्राहक का पता-ठिकाना नहीं मिल रहा है तो बैंक को खाताधारक का परिचय करानेवाले व्यक्तियों से संपर्क करने पर विचार करना चाहिए । यदि ग्राहक के नियोजक / अथवा किसी अन्य व्यक्ति के ब्योरे उपलब्ध हैं तो उनसे भी संपर्क करने पर विचार किया जा सकता है। खाताधारक का टेलीफोन नंबर/सेल नंबर यदि बैंक को दिया गया है तो बैंक उससे फोन पर भी संपर्क करने पर विचार कर सकते हैं। अनिवासी खातों के मामले में बैंक खाताधारकों से ई-मेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और खाते के ब्योरे के संबंध में उनकी पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
- (iv) बचत तथा चालू खाता, दोनों में अगर दो वर्ष से अधिक अवधि से कोई लेनदेन नहीं हो रहा है तो उन्हें निष्क्रिय खाता माना जाए।
- (v) यदि खाताधारक खाते को परिचालन न करने के लिए कारण देते हुए कोई उत्तर देता है तो बैंकों को एक और वर्ष की अवधि के लिए उस खाते को सक्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखना चाहिए। इस अवधि के भीतर उस खाताधारक को खाते का परिचालन करने के लिए अनुरोध किया जाए। तथापि, विस्तारित अवधि के दौरान भी खाताधारक यदि खाता परिचालित नहीं करता है तो बैंकों को चाहिए कि विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद वे उसका निष्क्रिय श्रेणी में वर्गीकरण करें।
- (vi) किसी भी खाते को 'निष्क्रिय' रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए ग्राहक तथा अन्य पार्टी के अनुरोध पर किए गए दोनों प्रकार के लेनेदेन, अर्थात् नामे तथा जमा लेनदेन को विचार में लेना चाहिए। तथापि बैंक द्वारा लगाए गए सेवा प्रभार तथा बैंक द्वारा जमा किये गये ब्याज को ध्यान में नहीं लिया जाए। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जब किसी ग्राहक में सावधि जमाखाते पर उपचित ब्याज बचत बैंक खाते में जमा करने का अधिदेश (मेनडेट) दिया हो और उक्त बचत खाते में इसके अलावा कोई अन्य परिचालन न किया गया हो । सावधि जमा खाते पर उपचित ब्याज बचत बैंक खाते में जमा किए जाने के कारण उसे ग्राहक प्रेरित लेनदेन माना जाना चाहिए । इस प्रकार जब तक सावधि जमा राशि का ब्याज बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है तब तक उस खाते को सक्रिय माना जाए । सावधि जमा खाते का ब्याज जमा करने की अंतिम प्रविष्टि की तारीख से दो वर्ष के बाद ही ऐसे गचत बैंक खाते को निष्क्रिय माना जा सकता है ।
- (vii) इसके अलावा निष्क्रिय खातों का पृथक्करण धोखाधड़ी आदि के जोखिम को कम करने की दृष्टि से किया जा रहा है। तथापि, केवल इस कारण कि किसी ग्राहक का खाता निष्क्रिय माना जा रहा है, उसे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एसा वर्गीकरण केवल खाते से जुड़े बड़े जोखिम को संबंधित स्टाफ के ध्यान में लाने के लिए किया गया है। धोखाधड़ी को रोकने तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट बनाने, दोनों दृष्टि से इस लेनदेन की उच्चतर स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए। तथापि, संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में ग्राहक को पता नहीं चलना चाहिए।
- (viii) ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुसार उचित सावधानी बरतने के बाद एसे खातों में परिचालन की अनुमति दी जानी चाहिए। यहां उचित सावधानी का अर्थ होगा, लेनदेन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, हस्ताक्षर तथा पहचान का सत्यापन आदि। तथापि,

यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक द्वारा बरती गई अतिरिक्त सावधानी के कारण ग्राहक को असुविधा नहीं होती है।

- (ix) निष्क्रिय खाते को पुनः सक्रिय करने का कोई प्रभार नहीं होना चाहिए।
- (x) बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि निष्क्रिय खाता लेजर में पड़ी शेष राशियों की बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा समुचित लेखा परीक्षा की जाती है।
- (xi) बचत बैंक खातों में नियमित आधार पर ब्याज की अदायगी की जानी चाहिए चाहे खाता सक्रिय हो अथवा न हो। यदि मीयादी जमा राशि के परिपक्व होने पर देय राशि का भुगतान नहीं होता है तो बैंक के पास पड़ी अदावी राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर लागू होगी।

5.6 बड़ी राशि के लेनदेनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली की संस्था और सुरक्षा के महत्व को समझते हुए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम (एनईएफटी) और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) जैसी प्रणालियां स्थापित स्थापित की हैं। पिछले कुछ वर्षों से भुगतान के लिए इन प्रणालियों का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में एक आंतरिक कार्यदल स्थापित किया था जिसने कागजी भुगतान प्रणाली में परिवर्तन संबंधी मामलों की जांच की और यह सिफारिश की कि यह परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से; अर्थात् प्रोत्साहन, निगरानी और आदेशों के माध्यम से किया जाए। दल की इन सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर एक दृष्टिकोण-पत्र (एप्रोच पेपर) रखा गया था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के बीच 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के लेनदेनों के लिए अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के उपयोग पर आम जनता से अभिमत मांगे गए थे। संबंधितों से प्राप्त अभिमतों का विश्लेषण किया गया। प्राप्त प्रस्ताव सामान्यतः स्वीकार करने योग्य थे। इस आधार पर पर यह निर्णय लिया गया कि अब से बड़ी राशि, अर्थात् 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक राशि के भुगतान निम्नलिखित समय-सीमा के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से ही किए जाएंगे:

लेनदेन का प्रकार	समय सीमा
(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्थाओं जैसे बैंक, प्राथमिक व्यापारी और एनबीएफसी के बीच 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी भुगतान	1 अप्रैल 2008
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित बाजारों जैसे मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार में 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी भुगतान	1 अप्रैल 2008

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली तथा उसके उपयोगकर्ताओं के सुविधा का स्तर देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि इसकी प्रारंभिक निर्धारित सीमा को 1 अगस्त 2008 से रु1 करोड़ से कम करके रु10 लाख किया जाए।

5.7 वृद्ध/रुण/अक्षम ग्राहकों द्वारा बैंक खातों का परिचालन

5.7.1 वृद्ध/स्रण/अक्षम ग्राहकों के अपने बैंक खातों में परिचालन करना सुविधाजनक बनाने के लिए नीचे पैरा 5.6.2 में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाए । स्रण/पुराने/अक्षम खाता धारकों के मामले निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आएंगे :

- (i) कोई खाताधारक जो इतना बीमार हो कि चेक पर हस्ताक्षर न कर सके/अपने बैंक खाते से पैसा आहरित करने के लिए बैंक में सशरीर उपस्थित न हो सके लेकिन चेक/आहरण फॉर्म पर अपने अंगूठे की छाप दे सकता हो, तथा
- (ii) ऐसा खाताधारक जो न केवल बैंक में सशरीर उपस्थित होने में असमर्थ है बल्कि कुछ शारीरिक दोष/अक्षमता के कारण चेक/आहरण फॉर्म पर अपने अंगूठे की छाप देने में भी असमर्थ हो ।

5.7.2 बैंक निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करें:

- (i) जहां बीमार/बूढ़े/अक्षम खाताधारक के अंगूठे या पैर के अंगूठे की छाप प्राप्त की जाती है वहां इस छाप की पहचान बैंक को ज्ञात दो गवाहों द्वारा की जानी चाहिए जिनमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी हो ।
- (ii) जहां ग्राहक अपने अंगूठे की छाप भी नहीं दे सकता और बैंक में सशरीर उपस्थित भी नहीं हो सकता हो तो चेक/आहरण फॉर्म पर एक निशान लेनी चाहिए जिसकी पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा होनी चाहिए जिनमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी हो ।

5.7.3 इस प्रकार के मामलों में ग्राहक से कहा जाय कि वह बैंक को यह सूचित करे कि उपर्युक्त प्रकार से प्राप्त किए गए चेक/आहरण फॉर्म के आधार पर बैंक से आहरण कौन प्राप्त करेगा तथा उस व्यक्ति की पहचान दो स्वतंत्र गवाहों से की जानी चाहिए । जो व्यक्ति बैंक से वास्तव में धन का आहरण कर रहा है उससे बैंक को अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत के लिए कहा जाना चाहिए ।

5.7.4 इस संदर्भ में किसी ऐसी व्यक्ति का बैंक खाता खोलने के प्रश्न पर जिसके दोनों हाथ न हों तथा जो चेक/आहरण फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता हो, भारतीय बैंक संघ द्वारा उसके सलाहकार से प्राप्त एक मत के अनुसार जिस व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हों तथा दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर एवं निशान के बीच भौतिक संपर्क होना चाहिए । इसलिए, ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने अपने दोनों हाथ गवाँ दिए हों, हस्ताक्षर किसी निशान के द्वारा किए जा सकते हैं । यह निशान व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है । यह पैर के अंगूठे की छाप हो सकता है जैसा बताया गया है । यह किसी ऐसे निशान द्वारा किए जा सकते हैं जो उस व्यक्ति की तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन किसी लिखत द्वारा दिया गया निशान का उस व्यक्ति के साथ भौतिक संपर्क हो जिसे हस्ताक्षर करने हैं ।

5.7.5 नेशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिसम, सेरेब्रल पाल्सि, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टिपल डिसेबिलिटीज (न्यास) ने भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया है कि ऐसा एक प्रश्न उठा है कि बैंक तथा बैंकिंग क्षेत्र अपंग व्यक्तियों के संबंध में नेशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिसम, सेरेब्रल पाल्सि, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टिपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 के अंतर्गत स्थापित स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा जारी अभिभावक संबंधी प्रमाणपत्र स्वीकार कर सकता है अथवा नहीं। न्यास ने यह कहा है कि

उपर्युक्त अधिनियम संसद द्वारा विशिष्ट रूप से इसीलिए पारित किया गया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत आनेवाले अपंगत्व वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति का प्रावधान हो। उपर्युक्त अधिनियम में उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापित स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा अपंग व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावक नियुक्त करने का प्रावधान है। न्यास की यह राय है कि इस प्रकार से नियुक्त कानूनी अभिभावक जब तक कि वह कानूनी अभिभावक रहता है तब तक बैंक में खाता खोल तथा परिचालित कर सकता है। यह भी नोट किया जाए कि मानसिक स्वास्थ्य (मेंटल हेल्थ) अधिनियम, 1987 के प्रावधान भी जिला न्यायालयों द्वारा अभिभावक की नियुक्ति के लिए अनुमति देते हैं। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक खाते खोलने/उनके परिचालन के प्रयोजन के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय द्वारा अथवा उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा जारी अभिभावक संबंधी प्रमाणपत्र को मानें। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं अपंग व्यक्तियों के माता-पिता/रिश्तेदारों को सही मार्गदर्शन दें ताकि उन्हें इस संबंध में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

5.8 विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी सहयोग की प्राप्ति

- 5.8.1 विदेशी सहयोग अधिनियम (विनियमन) अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक है कि निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम वाले विदेशी सहयोग प्राप्त करने वाले संघों को स्वयं को गृह मंत्रालय, भारत सरकार में पंजीकृत करवाना चाहिए तथा विदेशी सहयोग किसी बैंक की केवल उसी शाखा के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए जिसका उल्लेख संघ ने गृह मंत्रालय में पंजीकरण हेतु अपने आवेदन में किया हो ।
- 5.8.2 इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि धारा (6) की उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक संघ, यदि वह केंद्र सरकार में पंजीकृत नहीं है, केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त होने के बाद ही कोई विदेशी सहयोग स्वीकार कर सकते हैं ।
- 5.8.3 राजनीतिक प्रकार के कुछ संगठन हैं जो राजनीतिक दल (उनकी शाखाओं/यूनिटों सहित) न होते हुए भी केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 (i) के अंतर्गत उल्लिखित हैं । इन संगठनों के लिए किसी विदेशी सहयोग को प्राप्त करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है । इस संबंध में बैंकों को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए :
- (i) विदेशी सहयोग दर्शाने वाले चेकों/ड्राफ्टों की राशि को जमा करना बशर्ते संघ गृह मंत्रालय, भारत सरकार में पंजीकृत हो ।
 - (ii) गृह मंत्रालय से प्राप्त किसी सूचना को प्रस्तुत करने का आग्रह करना जिसमें संघ के विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत न होने की स्थिति में विदेशी सहयोग की एक विशेष राशि की स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति दी गई हो ।
 - (iii) इस प्रकार के संघों के खाते में जमा दर्ज न करना जो विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत विदेशी सहयोग स्वीकार करने के प्रयोजन के लिए गृह मंत्रालय में अलग से पंजीकृत नहीं हैं ।
 - (iv) इस प्रकार के संघों के खाते में जमा दर्ज न करना जिन्हें केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विदेशी सहयोग प्राप्त करने का निदेश दिया गया है ।
 - (v) राजनीतिक प्रकार के संगठनों, जो राजनीतिक दल (उनकी शाखाओं तथा यूनिटों सहित) नहीं हैं, को तब तक चेकों/ड्राफ्टों आदि की राशि को जमा दर्ज करने की अनुमति नहीं देना जब तक विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के

अंतर्गत इस प्रकार के संगठन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति वाला पत्र प्रस्तुत न कर दें ।

- (vi) गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को भेजी गई पंजीकरण संख्या को संबंधित रेकार्डों विशेष रूप से बहियों के पृष्ठों में दर्ज करना जिनमें यह सुनिश्चित करने के लिए संगठनों के विदेशी सहयोग खाते रखे गए हैं कि इस प्रकार के संगठनों का अवांछित उत्पीड़न न हो ।
- (vii) यदि किसी चेक/मांग ड्राफ्ट को इसके राशि की वसूली के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया हो तथा ऐसे संघ या संगठन द्वारा किसी संघ/संगठन के खाते में जमा दर्ज किया गया हो जो पंजीकृत नहीं है या जिसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक हो, जैसा भी मामला हो, तो बैंक की संबंधित शाखा आगे के अनुदेशों के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करे । किसी भी स्थिति में बैंकों को राजनीतिक प्रकार के संघ/संगठन, जो राजनीतिक दल नहीं है तथा किसी अपंजीकृत संगठन, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है के खाते में जमा दर्ज नहीं करना चाहिए जब तक कि संघ/संगठन गृह मंत्रालय का कोई पत्र प्रस्तुत नहीं करता जिसमें विदेशी सहयोग स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति न दी गई हो ।
- (viii) जहां पूर्व अनुमति मंजूर कर ली गई हो, इस प्रकार की अनुमति केवल विदेशी सहयोग की निश्चित राशि स्वीकार करने के लिए है जिसका उल्लेख संबंधित पत्र में किया जाएगा । गृह मंत्रालय बैंक की संबंधित शाखा को प्रत्येक संघ/संगठन के पंजीकरण आदेश या पूर्व अनुमति की प्रति एक समान रूप से परांकित कर रहा है जिसके माध्यम से विदेशी सहयोग संघों/संगठनों के खाते में जमा करने के लिए प्राप्त किया जाना है ।

5.8.4 उपर्युक्त प्रयोजन के लिए बैंक के भीतर ही समुचित प्रणालियां विकसित की जाएं ताकि इन अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा गैर-अनुपालन की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त किया जा सके । इस प्रकार विकसित प्रणाली की सूचना उचित कार्यान्वयन तथा सख्त अनुपालन के लिए बैंक की सभी शाखाओं को दी जानी चाहिए तथा प्रधान कार्यालय के स्तर पर उसकी प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए ।

5.8.5 इसके अतिरिक्त, बैंकों के लिए छः माही पूरी होने से दो माह के भीतर भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अनुबंध II में दिए गए प्राप्ति के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तथा 31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए छः माही आधार पर एक विवरणी भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें संघों/संगठनों के खातों में जमा किए गए विदेशी सहयोग का विवरण दिया गया हो । सरकार को छः माही विवरणियां समय पर प्रस्तुत करना सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक प्रधान कार्यालय में एक 'नोडल अधिकारी' नियुक्त करें जो सटीक तथा समय पर विवरणियां प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए ।

5.8.6 इन अनुदेशों का पालन न करना कथित अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होगा । निर्धारित विवरणी समय पर भारत सरकार को न प्रस्तुत करने के मामले को भी बहुत गंभीरता से लिया जाएगा ।

6. दिवंगत जमाकर्ताओं से संबंधित दावों का निपटान

दिवंगत जमाकर्ताओं के दावों के झंझट-रहित त्वरित भुगतान के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए:

जमाखाते की शेष राशि तक पहुंच

6.1 जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध वाले खाते

यदि जमाकर्ता ने खाता खोलते वक्त नामांकन सुविधा का लाभ उठाया हो और खाता खोलते वक्त जीवित खाताधारक उपबंध ('जीवित या दोनो', या 'जीवित या इनमें से कोई', या 'पहला या जीवित', या 'बाद वाला या जीवित') के रूप में वैध नामांकन किया हो तो दिवंगत के जमाखाते के जीवित/नामिकिती के जमा खाते में शेष राशि बैंक अंतरित कर सकता है बशर्ते:

- (क) जीवित/नामिकिती की पहचान के बारे में बैंक ने दस्तावेजी सुबूतों से पूरे ध्यान और सावधानी के साथ जांच कर ली हो;
- (ख) किसी भी सक्षम न्यायालय ने दिवंगत के खाते से भुगतान करने पर बैंक पर कोई रोक न लगाई हो; और;
- (ग) जो जीवित/नामिकिती बैंक से भुगतान प्राप्त करे उसे स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि वह दिवंगत के कानूनी वारिसों के लिए ट्रस्टी का कार्य करेगा, अर्थात् इस भुगतान से उन व्यक्तियों के दावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिनका जीवित/नामिकिती के प्रति कोई दावा बनता है।

6.2 यहां यह ध्यान देने योग्य है कि निर्धारित शर्तों के अधीन यदि बैंक जीवित/नामिकिती को भुगतान कर देता है तो इससे बैंक की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। वैधानिक प्रतिवेदन की मांग अवांछित और बेमानी है और इससे जीवित/नामिकिती की परेशानियां बढ़ेंगी ही और इसे गंभीर पर्यवेक्षणात्मक त्रुटि के रूप में देखा जाएगा। दिवंगत जमाकर्ता के जीवित/नामिकिती से बैंक को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, वसीयत पत्र इत्यादि की मांग पर जोर नहीं देना चाहिए और न ही जीवित/नामिकिती से किसी प्रकार का इंडेमिनिटी बांड या जमानत की मांग नहीं करनी चाहिए चाहे दिवंगत जमाकर्ता के खाते में कितनी भी राशि हो।

6.3 जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध रहित खाते

जिन मामलों में दिवंगत जमाकर्ता ने खाता में 'जीवित या इनमें से कोई भी' (जैसे कि एकल या संयुक्त खाते में होता है) वाली स्थिति अपनाई हो तो उस स्थिति के लिए बैंकों को सूचित लिया जाता है कि वे जमाकर्ता के कानूनी वारिसों को राशि चुकाने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाएं। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जनसाधारण को कम से कम परेशानी हो। इसके मद्देनजर बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यान में रखकर एक ऐसी सीमा निर्धारित कर लें जिस तक दिवंगत जमाकर्ता के दावे क्षतिपूर्ति पत्र के अलावा किसी अन्य दस्तावेज को दिखाए भी निपटाए जा सकें।

6.4 मीयादी जमा खाते का समय-पूर्व समापन

मीयादी जमा खाते के मामले में बैंकों को सूचित किया जाता है कि ऐसा खाता खोलते वक्त ही वे इस आशय का एक उपबंध उसमें जोड़ दें कि जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में मीयादी जमा का समय-पूर्व समापन किया जा सकता है। जिन परिस्थितियों के चलते समय-पूर्व ऐसे आहरण की अनुमति दी जाएगी उसके बारे में भी खाता खोलने के फार्म में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए।

6.5 दिवंगत जमाकर्ता के नाम आनेवाले आगम का निपटान

जमा खाते के जीवित बचे खातेदार (खातेदारों)/नामिती के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सूचित किया जाता है कि दिवंगत खातेदार के नाम आनेवाले आगमों के निपटान के लिए वे जीवित बचे खातेदार (खातेदारों)/नामिती से समुचित करार/अनुमति पत्र प्राप्त कर लें। इस बारे में बैंक इन दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं:

- बैंक दिवंगत खातेदार के जीवित बचे खातेदार (खातेदारों)/नामिती से 'दिवंगत श्री/श्रीमती-- ----- की संपत्ति' के रूप में खाता खोलने के लिए एक अधिकार पत्र हासिल कर सकते हैं

ताकि दिवंगत खातेदार के नाम से आनेवाले सारे आगमों को इसमें जमा किया जा सके। मगर इसमें एक शर्त यह होगी कि आहरण न किया जाए।

या

- जीवित बचे खातेदार /नामिती बैंक को इस बात के लिए अधिकृत कर सकते हैं कि आनेवाले आगम को 'दिवंगत खाताधारक' की टिप्पणी के साथ प्राप्त करें और जीवित बचे खातेदार /नामिती को तदनुसार सूचित किया जाए। तत्पश्चात, जीवित बचे खातेदार /नामिती/कानूनी वारिस विप्रेषक के पास जाकर उचित लाभग्राही के नाम पराक्रम्य लिखत या ई सी एस अंतरण के माध्यम से प्राप्त करें।

6.6 सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित हिफाजत में रखी वस्तुएं

लॉकर किराए पर लेने वाले/ सुरक्षित हिफाजत में वस्तुएं रखने वाले दिवंगत के नामितियों (यदि ऐसा नामांकन किया गया है तो) या दिवंगत के उन उत्तरजीवियों (जिस स्थिति में लॉकर /सुरक्षित हिफाजत में रखी वस्तुएं तक पहुंच उत्तरजीविता के उपबंध से निदेशित होती हो) की लॉकर के किराएदार/सुरक्षित हिफाजत में रखने वाले की मृत्यु के बाद पहुंच बनाने के लिए बैंकों को सामान्यतः वही सख अख्तियार करने की सलाह दी जाती है जैसा कि जमा खाते के लिए बताया गया है। तथापि, इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

6.7 दावों के निपटान के लिए समयसीमा

बैंकों को सूचित किया जाता है कि दिवंगत जमाकर्ता से संबंधित दावों का निपटान जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाणपत्र तथा दावे की उपयुक्त निशानदेही के पश्चात उत्तरजीवियों/नामितियों को इसका भुगतान 15 दिन की अवधि के अंदर कर दिया जाए मगर पहले बैंक को इन दस्तावेजों से संतुष्ट होना आवश्यक है। दिवंगत जमाकर्ताओं/लॉकर किराए पर लेने वालों/सुरक्षित हिफाजत में वस्तुएं रखने वाले दिवंगतों के बारे में तथा जो मामले निर्धारित समय के बाद भी नहीं निपटाए जा सके उनके कारण बताते हुए बैंक अपने निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति को उचित अंतरालों, अनवरत आधार पर सूचित करते रहें।

6.8 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के प्रावधान

इस बारे में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के सात पठित धारा 45 जेड ए से 45 जेड एफ तथा सहकारी बैंक (नामांकन) नियम, 1985 के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

6.9 ग्राहकों को सलाह तथा प्रचार

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन सुविधा तथा उत्तरजीविता उपबंधों के बारे में जमा खाता धारकों में प्रचार-प्रसार करें तथा इस बारे में उन्हें सलाह-मशविरा दें। उदाहरणार्थ, प्रचार साहित्य में इस बात को उजागर किया जाए कि उत्तरजीविता उपबंध के बिना अपने आप ही उत्तरजीवी खाताधारक को जमा राशि प्राप्त करने का हक हासिल नहीं हो जाएगा।

7. गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान

गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावे के निपटान हेतु नामिती / कानूनी वारिसों से प्राप्त दावों पर बैंक निम्नलिखित प्रणाली का अनुसरण करें।

- (क) गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावों का निपटान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। धारा 107 गुमशुदा व्यक्ति के जीवित होने तथा धारा 108 उसकी मृत्यु की परिकल्पना पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार मृत्यु की परिकल्पना का मामला गुमशुदा व्यक्ति के खोने की सूचना से सात वर्ष बीत जाने के बाद ही उठाया जा सकता है।

अतः, नामिती / कानूनी वारिसों को अभिदाता की मृत्यु हो जाने की सुव्यक्त परिकल्पना का मामला किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107/108 के अंतर्गत उठाना होगा। यदि न्यायालय यह मान लेता है कि गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है तब उस आधार पर गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावे का निपटान किया जा सकता है।

(ख) बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे एक नीति निर्धारित करें जिससे वे कानूनी राय पर विचार कर तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावों का निपटान कर सकें। इसके अलावा, आम आदमी को असुविधा और अनुचित कठिनाई से बचाने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि अपनी जोखिम प्रबंध प्रणाली को ध्यान में रखते हुए वे एक ऐसी उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं, जिसके अधीन वे (i) एफआईआर तथा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी लापता रिपोर्ट तथा (ii) क्षतिपूर्ति पत्र के अलावा किसी अन्य दस्तावेज की प्रस्तुति पर जोर दिये बिना गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान कर सकते हैं।

8. जमा संग्रह

8.1 जमा संग्रह एजेंट

8.1.1 बैंकों के लिए जमा राशियों पर किसी स्म में दलाली का भुगतान किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्थान या अन्य किसी व्यक्ति को करना प्रतिबंधित है ।

8.1.2 बैंकों को अनिवासी जमाओं सहित जमाओं के संग्रह या भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दर निदेशों के अन्तर्गत अनुमत सीमा के अतिरिक्त शुल्क/कमीशन के भुगतान पर उत्पाद संबंधित अन्य किसी जमा को किसी स्म में या किसी प्रकार से बेचने के लिए फर्मों/कंपनियों के माध्यम से भी बाहरी व्यक्तियों को नियोजित/संबद्ध नहीं करना चाहिए ।

8.2 "बैंक गारंटियों" सहित अनिगमित निकायों/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से जमा स्वीकार करना

बैंकों को किसी समझौते के तहत निजी वित्त प्रदाताओं अथवा अनिगमित निकायों के आग्रह पर जमा राशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए जिसके तहत निजी वित्त प्रदाताओं के ग्राहकों के पक्ष में या तो जमा रसीद जारी करनी पड़ सकती है या मुख्तार नामा, नामांकन द्वारा अन्यथा ऐसे ग्राहकों को परिपक्वता पर राशि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करना पड़ सकता है ।

8.3 निजी संगठनों द्वारा शुरू की गई जमा संग्रह योजनाएं

यह नोट किया जाए कि प्राइज चिट्स तथा धन परिचालन योजनाएं (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 (1978 की सं. 43) ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उस संबंध में अधिसूचित धर्मार्थ तथा शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर प्राइज चिट योजना को बढ़ावा देने और उसके संचालन पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है । लॉटरी उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत "प्राइज चिट" के अंतर्गत आती है । इसके अतिरिक्त, बैंक काउंटर्स पर लॉटरी टिकटों की बिक्री से दुस्प्रयोग हो सकता है तथा जनता ने इसकी परिहार्य शिकायतें की हैं। इसलिए, बैंकों को किसी प्रकार के संगठनों की लॉटरी योजनाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष स्म से स्वयं को संबद्ध नहीं करना चाहिए ।

9. अन्य पहलू

9.1 बैंकिंग प्रणाली तथा आय कर प्राधिकारियों के बीच अधिकाधिक समन्वय

9.1.1 सुरक्षित जमा लॉकर

बैंकों को सभी लॉकर चाबियों पर एक पहचान कूट उत्कीर्ण करना चाहिए ताकि आयकर अधिकारियों द्वारा लॉकर चाबियों की पहचान करना सुविधाजनक हो तथा यह कूट बैंक तथा शाखा को दर्शाएगा जिसने लॉकर किराए पर दिया है । पहले से ही किराए पर दिए गए लाकर की चाबियों पर, अनुदेशों के अनुसार अनुपालन करने में आनेवाली व्यावहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव है कि जब लाकर के परिचालन के लिए व्यक्ति बैंक में आते हैं तब उस चाबी पर परिचय कूट अंकित किया जाए। इस प्रयोजन के लिए लाकर के विक्रेता कंपनी की सहायता ले । संबंधित शाखा अपने लाकर के सभी ग्राहकों को लाकर चाबियों के अंकन के संबंध में सूचना दे । कृपया यह सुनिश्चित करे कि केवल लाकर ग्राहक की उपस्थिति में ही परिचय कूट अंकित किया जाता है ।

9.1.2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों के साथ समन्वय

आयकर विभाग तथा बैंकिंग प्रणाली के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता है । इस प्रकार बैंक यह सुनिश्चित करें कि वे जब भी आवश्यक हो, कर अधिकारियों को आवश्यक सहायता/समन्वय प्रदान करते हैं । इसके व्यतिरिक्त बैंकों को उन मामलों पर गहराई से विचार करना चाहिए जहां उनके स्टाफ ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों की किसी प्रकार अनदेखी की है/उनमें सहायता की है । इस प्रकार के मामलों में सामान्य दंडनीय कार्रवाई के अलावा इस प्रकार के स्टाफ सदस्यों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जानी चाहिए ।

9.2 अदावाकृत जमाराशियों का रजिस्टर

9.2.1 बैंकों के लिए फॉर्म VIII में एक विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें भारत में अदावाकृत जमा खाते प्रदर्शित किए गए हों जिनका 10 वर्षों या उससे अधिक समय से परिचालन नहीं किया गया है । सटीकता तथा समय पर सूचना देना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बैंक की सभी शाखाओं के लिए इस उद्देश्य के लिए एक पृथक रजिस्टर रखना वांछनीय है ।

9.2.2 इसलिए बैंक अपनी शाखाओं को सूचित करें कि वे अदावाकृत जमाराशियों के लिए एक पृथक रजिस्टर रखें ।

9.2.3 शाखाओं को यह भी सूचित किया जाए कि उस रजिस्टर में प्रविष्टियां 10 वर्षों से परिचालित नहीं किए गए जमा खातों के संबंध में की जाएं । विभिन्न प्रकार के जमा खातों के लिए पृथक संविभाग रजिस्टर में खोले जा सकते हैं ।

9.2.3.1 शाखाओं को जिस फोलियो में संबंधित अदावाकृत जमा खाता रखा जाता है उस फोलियो में यह नोट करना सुनिश्चित करना चाहिए कि खाते में परिचालन की अनुमति देने से पहले अदावाकृत जमा रजिस्टर को देखा जाए ताकि सामान्य तौर पर इस प्रकार के खातों में

परिचालन की अनुमति न देने के प्रति सावधान किया जा सके और किसी उच्च अधिकारी का प्राधिकार प्राप्त होने के बाद ही इसकी अनुमति दी जाए ।

10. "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी दिशा निर्देश तथा धन शोधन निवारण मानक

10.1 "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी दिशा निर्देश

- (क) 'अपने ग्राहकों को जानिए' सिद्धांत के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं की पहचान के बारे में कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं और बैंकों को सूचित किया है कि वे ऐसी प्रणालियां और क्रिया-विधियां अपनायें जिनसे वित्तीय धोखाघड़ी, काले धन को वैध बनाये जाने और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने तथा भारी नकदी लेनदेनों की जांच / निगरानी करने में मदद मिल सके। समय-समय पर ऐसे भी अनुदेश जारी होते रहे हैं जिनमें बैंकों को सूचित किया जाता रहा है कि वे नये ग्राहकों के खाते खोलते समय सतर्क रहें, ताकि धोखाघड़ी करने के लिए बैंकिंग प्रणाली का उपयोग न हो सके ।
- (ख) काले धन को वैध बनाने से रोकने (एएमएल) के मानकों तथा आतंकवाद को वित्तपोषण प्रदान करने से निपटने (सी एफ टी) के बारे में वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफ ए टी एफ) की सिफारिशों के मद्देनजर 'अपने ग्राहक को जानिए' दिशानिर्देशों पर पुनः विचार किया गया है। काले धन को वैध बनाने से रोकने तथा आतंकवाद को वित्तपोषण प्रदान करने से निपटने के लिए ये मानक अब विनियामक प्राधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क बन गए हैं।
- (ग) बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 'अपने ग्राहक को जानिए' नियमों के लिए समुचित नियम बनाना तथा काले धन को वैध बनाने से रोकने के लिए उपाय बनाना सुनिश्चित करें तथा अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से इसे लागू करें। परिचालनात्मक दिशानिर्देश बनाते समय बैंक ग्राहकों से संभाव्य जोखिमों के बारे में सूचना मांगें जो कि अंतर्वेधी अतिक्रमणशील न हों और ये इस बारे में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों। ग्राहक से अन्य कोई जानकारी उसकी सहमति से ही मांगी जाए और ऐसा खाता खोलने के बाद किया जाए।
- (घ) ग्राहक की पहचान के लिए जिन दस्तावेजों /जानकारी पर निर्भर किया जा सकता है उनके स्वस्व तथा प्रकार की निर्देशात्मक सूची भी 15 दिसंबर 2004 के परिपत्र शबैवि. पीसीबी. परि. 30 /09.161.00 /2004 -05 के अनुबंध -II में दी गई थी। हमें यह सूचना मिली है कि अनुबंध II, जिसे स्पष्ट रूप से निर्देशात्मक सूची कहा गया है, को कुछ बैंक एक संपूर्ण सूची के रूप में मानते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनता के एक हिस्से को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित रखा जा रहा है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपने मौजूदा आंतरिक अनुदेशों की समीक्षा करें।

(च) यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे उक्त परिपत्र के अनुबंध II में उल्लिखित स्थायी सही पता का अर्थ है वह पता जिस पर कोई व्यक्ति सामान्यतः रहता है और वह ग्राहक के पते के सत्यापन के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत जनोपयोगी (यूटिलिटी)सेवा के बिल अथवा कोई अन्य दस्तावेज में उल्लिखित पता हो सकता है। यह पाया गया है कि कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को, उदाहरण के लिए, अपने पति, पिता/माता तथा पुत्र के साथ रहने वाली पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा माता-पिता आदि, को कुछ बैंकों में खाता खोलने में कठिनाई हो रही है क्योंकि पते के सत्यापन के लिए आवश्यक यूटिलिटी बिल उनके नाम पर नहीं हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में बैंक भावी ग्राहक जिस रिश्तेदार के साथ रहता है उससे इस आशय का एक घोषणा पत्र कि खाता खोलने के लिए इच्छुक उक्त व्यक्ति (भावी ग्राहक) उसका रिश्तेदार है और उसके साथ रहता है तथा उसका पहचान दस्तावेज तथा यूटिलिटी बिल प्राप्त कर सकता है।

पते के और अधिक सत्यापन के लिए बैंक डाक से प्राप्त पत्र जैसे अनुपूरक साक्ष्य का उपयोग कर सकता है।

(छ) इस विषय पर शाखाओं को परिचालन संबंधी अनुदेश जारी करते समय बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का भाव ध्यान में रखना चाहिए और उन व्यक्तियों को जिन्हें कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, होने वाली अनुचित कठिनाइयों को टालना चाहिए।

(ज) अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी वाली योजनाओं (उदाहरणार्थ फिशिंग तथा पहचान की चोरी) से होने वाली आय का शोधन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की सेवा ली जाती है जो धनशोधन के माध्यम बन जाते हैं। ऐसे अपराधी इन तीसरे पक्षकारों को 'धनशोधन के माध्यम' के रूप में कार्य करने के लिए राजी कर अवैध रूप से जमा खातों तक पहुँच बना लेते हैं। कुछ मामलों में ये तीसरे पक्षकार निर्दोष हो सकते हैं लेकिन अन्य मामलों में अपराधियों के साथ उनकी मिलीभगत हो सकती है। 'धनशोधन के माध्यम' संबंधी लनदेन में एक बैंक खाताधारक व्यक्ति को अपने खाते में चेक जमा अथवा तार अंतरण प्राप्त करने और तत्पश्चात् कमीशन की एक निश्चित राशि अपने लिए घटाकर इन निधियों को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर धारित खातों में अथवा अन्य व्यक्तियों को अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को स्पैम ई-मेल, भर्ती की मान्य वेबसाइटों पर विज्ञापनों, सोशल नेटवर्किंग साइटों, इंस्टैंट मैसेजिंग तथा समाचार पत्रों में विज्ञापनों जैसे तमाम तरीकों से इस कार्य के लिए राजी किया जा सकता है। जब धनशोधन के माध्यम बने ऐसे व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो प्रायः उनके बैंक खाते निलंबित कर दिए जाते हैं जिसके कारण धोखाधड़ी में हिस्सेदारी के लिए संभावित कानूनी कार्रवाई भुगतने के अलावा उन्हें असुविधा और भारी वित्तीय क्षति भी उठानी पड़ती है। कई बार तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे व्यक्तियों के पते और संपर्क के ब्योरे नकली निकलते हैं या वे अद्यतन नहीं होते जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को खाताधारक का पता लगाने में कठिनाई होती है। यदि बैंक अपने 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड /धनशोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध /धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर मास्टर परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों का पालन करें तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे खातों के परिचालन को कम-से-कम किया जा सकता है। अतः शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ग्राहक को जानिए /धनशोधन निवारण /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध पर समय-समय पर जारी तथा खाता खुलने के बाद ग्राहक पहचान संबंधी आंकड़ों को आवधिक रूप से अद्यतन करने संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि वे ऐसे धोखेबाजों द्वारा अपना और अपने ग्राहकों का दुस्प्रयोग होने से बचाव कर सकें।

(झ) वेतनभोगी कर्मचारियों के बैंक खाते खोलते समय कुछ बैंक नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र /पत्र पर पहचान के प्रमाण के लिए तथा पते के प्रमाण के लिए एक मात्र केवाईसी दस्तावेज के रूप में भरोसा करते हैं। इस प्रकार की प्रथा का दुस्प्रयोग हो सकता है और यह जोखिम से भरी हुई है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि धोखाधड़ी के जोखिम को नियंत्रित रखने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक ऐसे प्रमाण पर तभी भरोसा करें जब वे प्रतिष्ठित कार्पोरेट और अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किये गये हों तथा बैंकों को इस संबंध में सचेत होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रमाण पत्र /पत्र जारी करते के लिए संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी कौन है। साथ ही, नियोक्ता के प्रमाण पत्र के अलावा बैंक को कार्पोरेट तथा अन्य संस्थाओं के वेतनभोगी कर्मचारियों के बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी प्रयोजन के लिए धनशोधन निवारण नियमावली में दिये गये अधिकृत वैध दस्तावेजों (अर्थात् पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि) या उपयोगिता बिलों में से कम-से-कम एक की प्रस्तुति पर जोर देना चाहिए।

